विश्व बैंक वित्त पोषित
उ.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग
परियोजना फेज – II

रजबहा एवम् अल्पिका स्तरीय जल उपभोक्ता समिति प्रशिक्षण पुस्तिका

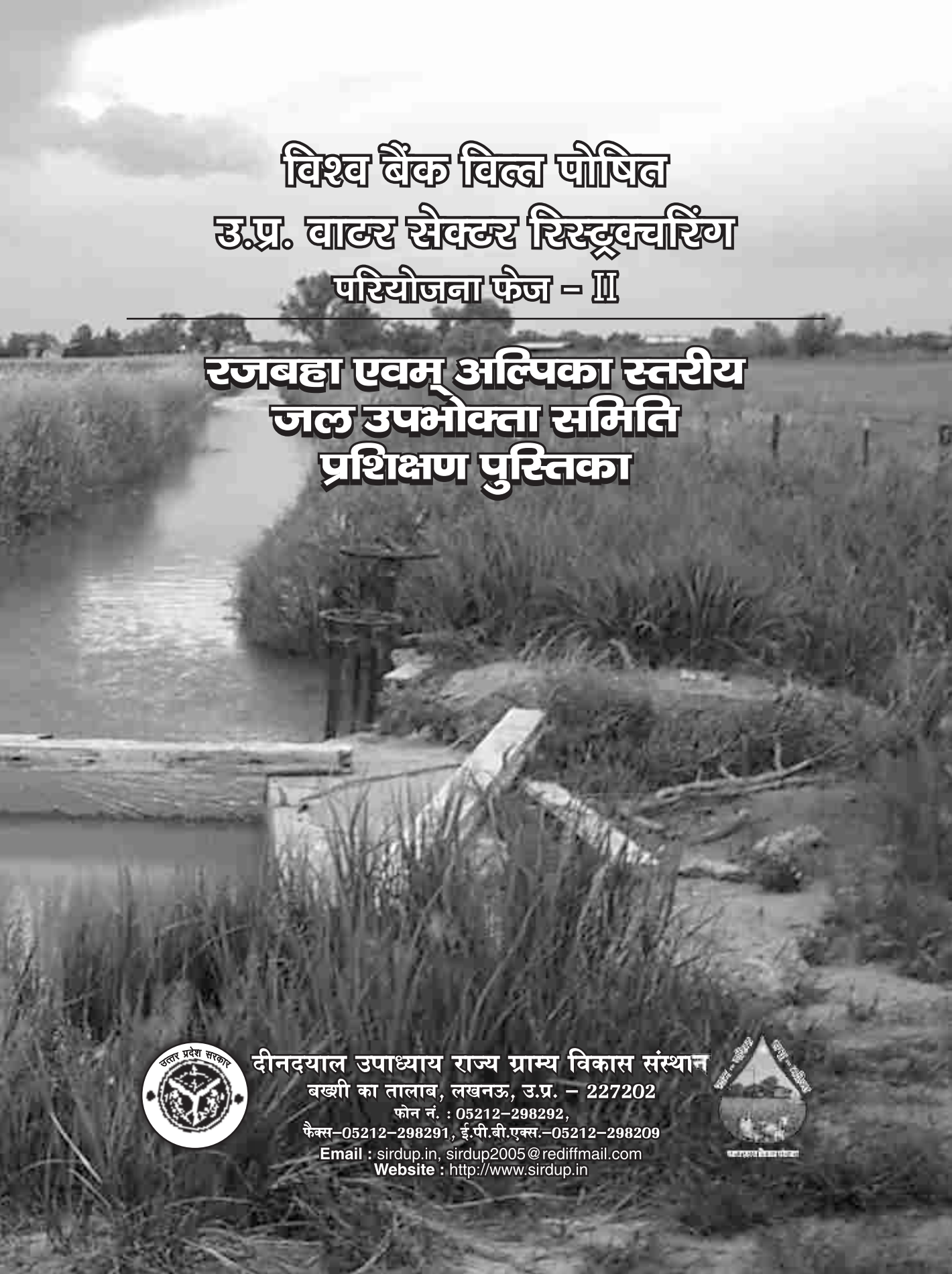

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ, उ.प्र. – 227202
फोन नं. : 05212–298292,
फैक्स–05212–298291, ई.पी.बी.एक्स.–05212–298209
Email : sirdup.in, sirdup2005@rediffmail.com
Website : http://www.sirdup.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.	1	सहभागी सिचाई प्रबन्धन अधिनियम एवम् नियमावली	3–22
2.	2	सहभागी सिचाई कार्यक्रम के अर्न्तगत फसल जल प्रबन्धन	23–56

अध्याय – 1
सहभागी सिचाई प्रबन्धन अधिनियम एवम् नियमावली

सहभागी सिचाई प्रबन्धन एक दृष्टि में

जल उपभोक्ता समिति के उद्देश्य

- जल का साम्यापूर्ण व सामयिक वितरण।
- मितव्ययी जल प्रयोग को बढ़ावा।
- सतही, भूगर्भ जल को बढ़ावा।
- विविधी व सघनीकरण उपायों से कृषि का त्वरित विकास।
- पर्यावरण का संरक्षण।
- संबंधित कार्यों हेतु किसी भूमि पर प्रवेश, जल मार्ग आदि की बन्दी।
- आवश्यक होने पर फसल आदि की कटाई ।
- भवन, हाता, उद्यान में प्रवेश हेतु 7 दिनों का नोटिस ।
- क्षति हेतु प्रतिकर देय।
- विकास कार्यो की योजना बनाना तथा क्रियान्वयन।
- सिंचाई अंकन, शुल्क निर्धारण एवं वसूली में सहायता एवं सहभागिता।

कुलाबा, अल्पिका तथा रजबहा समिति के कृत्य

- जल की प्रास्थिति की सदस्यों को जानकारी देना।
- फसल वार जल मांग पत्र बनाना।
- जल प्राप्त कर निचले स्तर पर वितरण।
- जल आय व्ययक बनाना।
- अनाधिकृत सिंचाई रोकना।
- अपराध की सूचना तथा जांच में सहयोग देना।
- फसलों की वार्षिक रिपोर्ट बनाना।

कुलाबा समिति के अतिरिक्त कार्य

- जल मार्गो एवं मैदानी नालों का निर्माण तथा रखरखाव।
- भू–धारकों मे जल वितरण।

माइनर या रजबहा समिति के अतिरिक्त कार्य

- सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण तथा सुधार।
- विशेष मरम्मत एवं सुधार।
- **कुलाबा तथा अल्पिका की समिति न होने पर, शक्ति तथा कार्य ठीक ऊपर वाली समिति द्वारा।**
- **अन्य समितियां न होने पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा**

कुलाबा समिति का गठन

- सामान्य सभा– कुलाबे के समस्त जल उपयोगकर्ता ।
- मत का अधिकार वयस्क एवं विहित अर्हता वालों को।
- अवयस्क के स्थान पर नैसर्गिक संरक्षक को।
- प्रबन्धन समिति के पद हेतु ग्राम पंचायत सदस्य की पात्रता।

कुलाबा पर प्रबन्धन समितियां अधिनियम की धारा–8 नियम–6

- कुलाबे कमांड का छः भागों मे विभाजन।
- प्रत्येक भाग मे लगभग समान कृषक।
- प्रत्येक भाग से एक प्रतिनिधि।
- महिला, अ0जा0/अ0ज0जा0 व पंचायत प्रतिनिधि न होने पर सहयोजन
- अध्यक्ष व सचिव का समिति द्वारा चयन।
- एक से अधिक पद का धारण नही।
- रजबहा तथा शाखा से सीधे निकलने वाले कुलाबों को विहित (5–10) संख्या मे समूह बनाकर रजबहा/शाखा समिति से संबद्ध फेडरेटेड अल्पिका समिति का गठन।

कुलाबा पर प्रबन्धन समितियां अधिनियम की धारा–8 नियम–6

- इस समिति का स्तर अल्पिका का स्तर।
- इन समितियों की प्रबन्ध समितियां रजबहा/शाखा की सामान्य सभा में ।
- सदस्य के विफल होने पर विहित विधि से वापसी।
- इस प्रकार समिति का गठन सम्भव न होने पर अधिकार सक्षम अधिकारी को।
- नहर से सीधे निकालने वाले कुलाबा समिति हेतु सक्षम नहर अधिकारी को ठीक ऊपर वाली समिति मे समस्त अधिकार।

अल्पिका, रजबहा, शाखा समितियों का गठन

- ठीक नीचे वाली समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्य साधारण निकाय
- शाखा से निकलने वाली अल्पिकाओं हेतु प्रबन्धन समिति रजबहा से निकलने वाले कुलाबों की प्रक्रिया के अनुरूप

अल्पिका, राजबहा, शाखा समितियों की प्रबन्धन समितियां

- प्रबन्धन समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा विहित संख्या मे अन्य सदस्य।
- अनु0जा0/जन जा0 महिला तथा उपयुक्त स्तर की टेल पंचायत का प्रतिनिधित्व।
- सदस्यों का निर्वाचन विहित अवधि तथा रीति से ।
- विफल होने पर वापसी का प्राविधान।
- पदाधिकारियों का निर्वाचन समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।

अध्यक्ष के दायित्व

सचिव के दायित्व

कोषाध्यक्ष के दायित्व

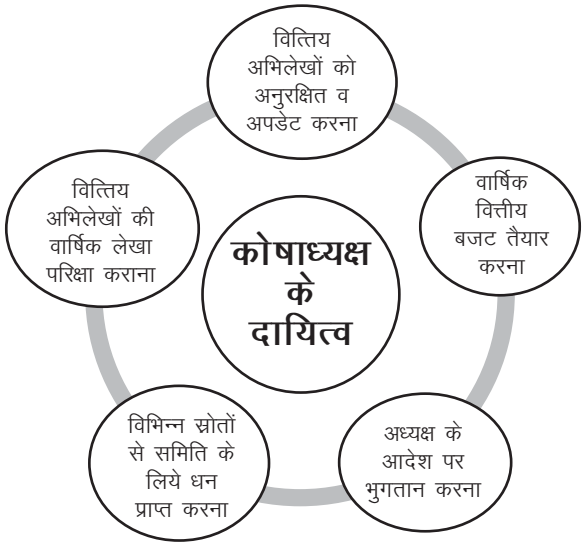

सींचपाल के कार्य एवं दायित्व

- गेज रिपोर्ट को अभिलिखित करना तथा इसकी सूचना उपराजस्व अधिकारी उपखण्ड, खण्ड एवं जिलेदार को देना
- जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कराना।
- सींच अंकित करना।
- खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के आदेशों को लागू करना
- कुलाबा समिति एवं अल्पिका समिति की बैठकों में भाग लेना
- सींच लिखने तथा वाराबंदी तैयार करने में कुलाबा समितियों को सक्षम बनाना
- जल उपभोक्ता समितियों के साथ गूल निर्माण हेतु प्लान तैयार कराना तथा प्रगति आख्या अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराना
- नहर अपराधों की सूचना देना तथा आवश्यक कार्यवाही करना
- अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल बर्बादी की सूचना देना एवं आवश्यक कार्यवाही करना
- उप राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता को कुलाबों के सही होने की सूचना देगा

सींच पर्यवेक्षक के कार्य एवं दायित्व

जिलेदार के कार्य एवं दायित्व

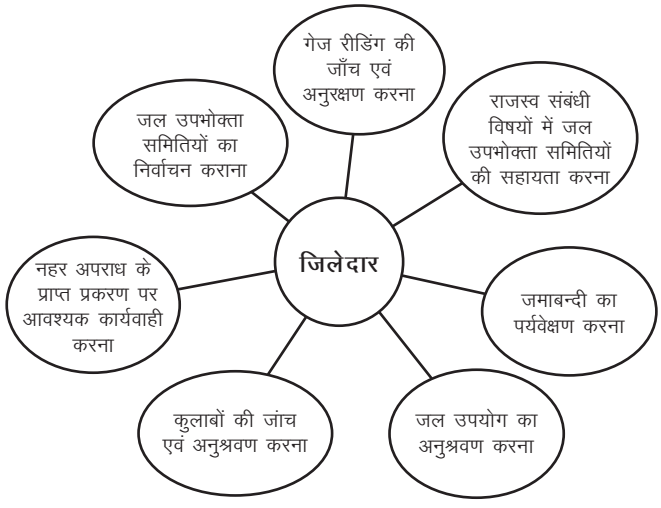

उप राजस्व अधिकारी/स्पेशल ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के कार्य एवं दायित्व

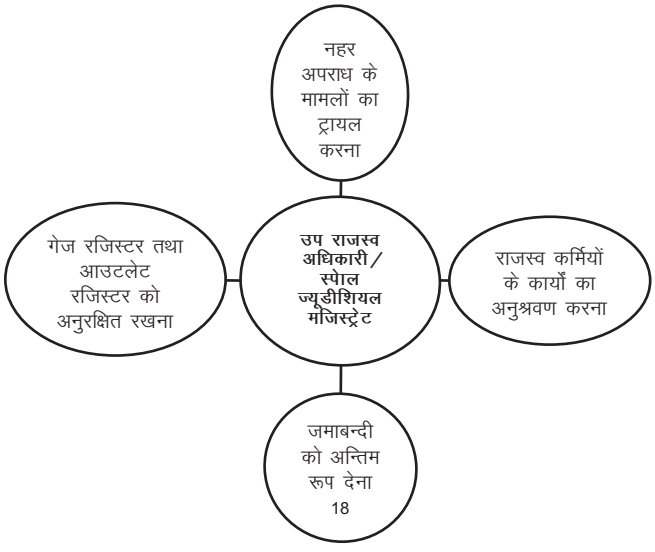

18

अवर अभियन्ता के कार्य एवं दायित्व

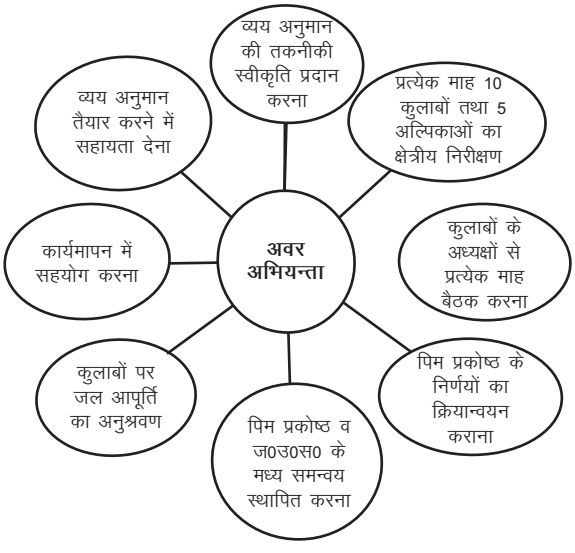

सहायक अभियन्ता के कार्य एवं दायित्व

- प्रत्येक माह में 10 अल्पिकाओं तथा 1 रजबहा का क्षेत्रीय निरीक्षण करना
- व्यय अनुमान का तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना
- अल्पिकाओं के अध्यक्षों के साथ मासिक बैठकें करना
- सामान्य सभा की बैठक में आयोजन/सहयोग करना तथा भाग लेना
- जल शुल्क अंश के बटवांरे हेतु कार्यवाही करना
- ज0उ0स0 को सहयोग देना एवं संचेतना जागृति करना
- अल्पिका समितियों की प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना
- बजट तैयार करने में सहायता करना एवं सामान्य सभा की बैठक में पारित कराना
- कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण करना

अधिशासी अभियन्ता के कार्य एवं दायित्व

- व्यय अनुमान की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना
- ज0उ0स0 को निधियों की व्यवस्था करना
- प्रतिमाह कम से कम 2 रजबहा समितियों का क्षेत्रीय निरीक्षण करना
- रोस्टर के अनुसार अल्पिकाओं में जलापूर्ति
- रजबहा समिति की सामान्य सभा की बैठक की तैयारी कराना
- ज0उ0स0 का अकेक्षण कराना
- ज0उ0स0 को उत्तरजीवी बनाने हेतु प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना
- बजट तैयार करने में सहायता करना तथा सामान्य सभा की बैठक में पास कराना
- राजस्व कर्मियों के कृत्यों का अनुश्रवण करना
- रजबहा समिति के अध्यक्षों के साथ प्रत्येक माह बैठक करना

अधीक्षण अभियन्ता के कार्य एवं दायित्व

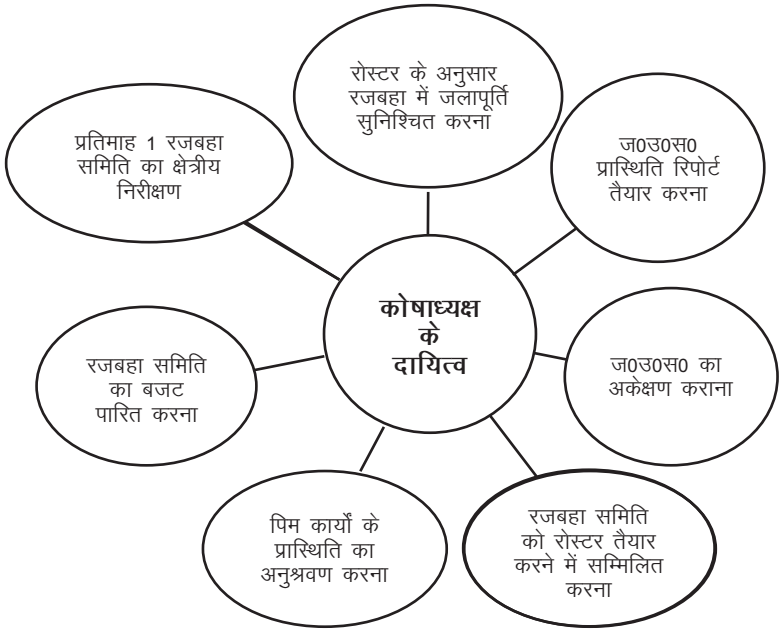

मुख्य अभियन्ता के दायित्व

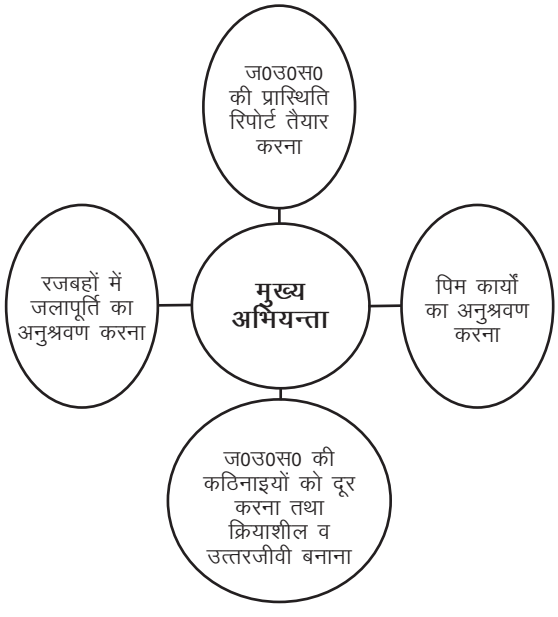

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन प्रकोष्ठ का गठन

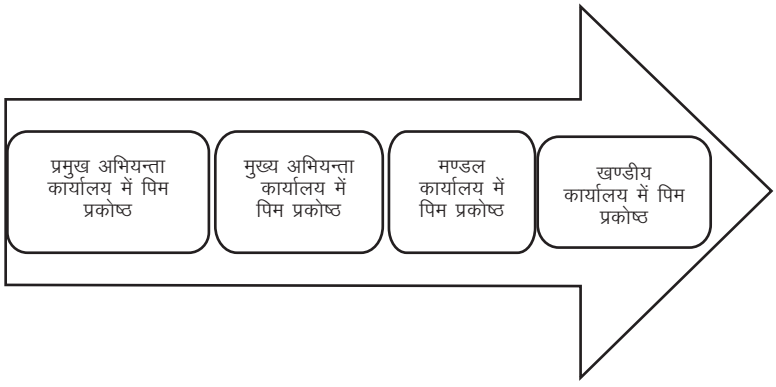

खण्डीय पिम प्रकोष्ठ के कृत्य

- ज0उ0स0 के कार्यों का अनुश्रवण
- ज0उ0स0 हेतु निर्धारित निधियों की मांग करना
- ज0उ0स0 को सिंचाई अंकन व सिंचाई शुल्क वसूल करने में सक्षम बनाना
- ज0उ0स0 के कार्यों का स्टेट्स रिपोर्ट तैयार करना
- ज0उ0स0 को प्रशिक्षण देना
- पिम संबंधी बैठकें आयोजित करना
- ज0उ0स0 को अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी देना
- ज0उ0स0 का निर्वाचन कराना
- ज0उ0स0 को वित्तीय प्रबन्धन हेतु सक्षम बनाना
- ज0उ0स0 को तकनीकी सहयोग प्रदान करना

मण्डल स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कृत्य

मुख्य अभियन्ता स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कृत्य

- ज0उ0स0 का मूल्यांकन करना
- पिम के प्रभाव का अध्ययन करना
- नहरों के रोस्टर का अनुश्रवण
- अनुरक्षण/निधिं व सिंचाई अंकन का स्टेट्स रिपोर्ट तैयार करना
- पिम सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखना
- साम्यपूर्ण जल वितरण सम्बन्धी स्टेट्स रिपोर्ट तैयार करना
- ज0उ0स0 का निर्पाचन कराना
- ज0उ0स0 का स्टेट्स रिपोर्ट तैयार करना
- मण्डलीय पिम सेल का अनुश्रवण/ मूल्यांकन
- पॉलिसी एवं प्रोग्राम लागू करना
- पिम सेल के अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ मासिक बैठक करना

प्रमुख अभियन्ता स्तरीय पिम प्रकोष्ठ के कृत्य

- ज0उ0स0 के निर्वाचन की युक्ति एवं प्रास्थिति आख्या तैयार करना
- अनुसंधान को बढ़ावा/
- सहायता देना
- ज0उ0स0 को निधियों का आवंटन
- पिम के सम्बन्ध में कृषकों के मध्य संचेतना जागृत करना
- समन्वित जल प्रबन्धन को बढ़ावा देना
- राज्य में पिम का अनुश्रवण करना
- ज0उ0स0 को निधियों का अन्तरण सुनिश्चित कराना
- प्रशिक्षण सम्बन्धी युक्ति एवं कार्यक्रम तैयार करना
- साम्यपूर्ण वितरण सिंचाई अभिलेखन एवं निधियों की प्रास्थिति तैयार करना

कर्मचारियों की नियुक्ति

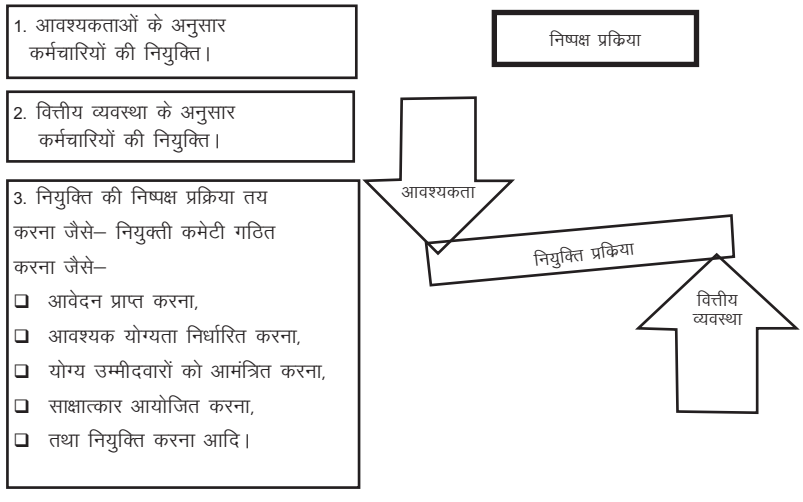

रजबहा समिति द्वारा अभियन्ता एवं लेखाकार की नियुक्ति की प्रक्रिया

1. सामान्य सभा से अनुमोदित।

2. वेतन व भत्तों पर आने वाले व्यय की व्यवस्था।

3. विवादों के समाधान की व्यवस्था।

4. निष्पक्ष प्रकिया।

5. योग्य का चुनाव।

6. सिंचाई विभाग को सूचित।

ज. उ. स. द्वारा कार्मिकों की नियुक्ति

- अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा की प्रबन्धन समिति आवश्यक कार्यों के लिये कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त कर सकती है–
- 1. सींच अंकन करने हेतु;
- 2. जल शुल्क वसूलने हेतु;
- 3. जल वितरण करने एवं उसकी देख–रेख करने;
- 4. कोई अन्य कार्य।

मानदेय एवं भत्तों का निर्धारण की प्रक्रिया

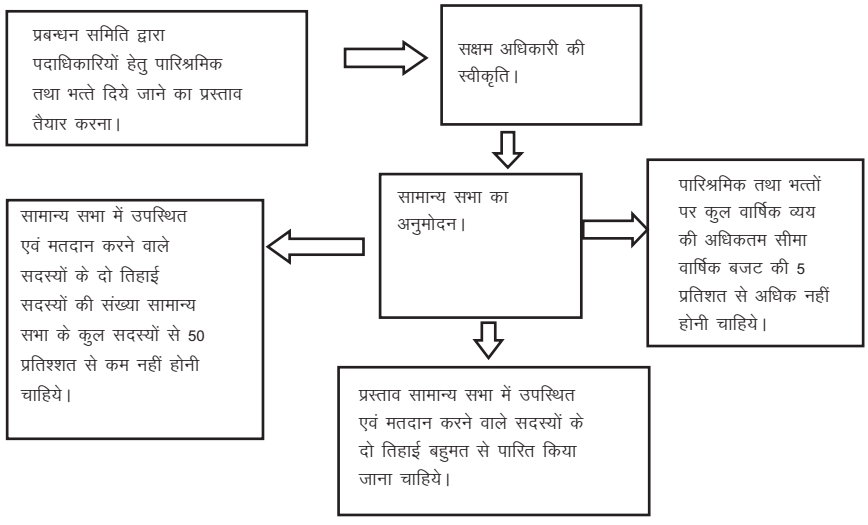

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली के अन्तर्गत समिति की बैठकें..

- **प्रबन्धन समिति की बैठक**

बैठक की अध्यक्षता	कोरम	बारम्बारता
अध्यक्षता	प्रबन्धन समिति के आधे सदस्य	मासिक

निम्न द्वारा प्रबन्धन समिति की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है–

- अध्यक्ष
- प्रबन्धन समिति के एक तिहाई सदस्यों
- उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति
- सक्षम नहर अधिकारी/निबन्धक/सरकार

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली के अन्तर्गत समिति की बैठकें..

- **सामान्य सभा की बैठक**

बैठक की अध्यक्ष	कोरम	समय
अध्यक्ष/ वरिष्ठतम सदस्य	सामान्य सभा के सदस्यों का 20 प्रतिशत	**खरीफ**– 15 अप्रैल – 31 मई **रबी**– 15 अक्टूबर – 15 नवम्बर

निम्न द्वारा सामान्य सभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है–
अध्यक्ष
प्रबन्धक समिति के 1/3 सदस्य
समान्य सभा के 1/3 सदस्यों के अधियाचन पर
उच्च जल उपभोक्ता समिति
सक्षम नहर अधिकारी/निबन्धक/सरकार
फसली सामान्य सभा की बैठक में कृषि विभाग, ग्राम विकास, भूमि संरक्षण एवं अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।
कार्यवृत्त निर्धारित प्रारुप पर निर्गत होगा। (परिशिष्ट–17 व 17 क)

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली के अन्तर्गत समिति की बैठकें..

- **सामान्य सभा की बैठक**

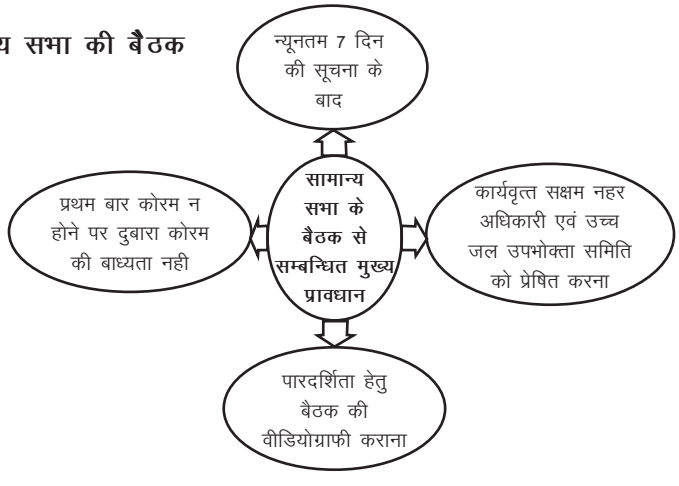

सामूहिक निर्णय लेने की सही विधि

- वर्तमान परिस्थिति, मुद्दे, समस्या का विश्लेषण और उस पर चर्चा करके सर्वसम्मति का प्रयास करना।
- सही विकल्प चुनना।
- परिणामों का अंदाजा लगाना तथा वित्तिय जरुरतों का आंकलन करना और सबसे अच्छे विकल्प को चुनना।
- चयनित विकल्प को कार्यान्वित करना तथा जिम्मेदारियाँ तय करना।
- पूरी प्रक्रिया तथा निर्णय की समीक्षा करना।
- सभी निर्णयों का दस्तावेजीकरण करना तथा निर्णय लेने के कारणों को लिखना।

जल उपभोक्ता समिति को भंग/पुनर्गठित करना

ज. उ. स. भंग/पुनर्गठन
- अक्षमता के आधार पर
- अनियमितता के आधार पर

अक्षमता के आधार पर

1. सक्षम नहर अधिकारी द्वारा पिम अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समिति के कार्यों का मूल्यॉकन।	2. सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समिति की सहायता।	3. समिति की मूल्याँकन आख्या आवश्यकतानुसार (कम से कम प्रत्येक फसल सीजन के अंत में) सम्बन्धित समिति व उससे उच्च स्तर की समिति को प्रेषित।

जल उपभोक्ता समिति को भंग/पुनर्गठित करना..

कार्यों के मूल्यांकनों के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी यदि समिति की कार्य निष्पादन में वांछित सुधार से संतुष्ट नहीं हैं तो निम्न प्रक्रिया के अनुसार विघटित करने की कार्यवाहीः–

1. सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समिति के अध्यक्ष को समिति के विघटन हेतु नोटिस;	2. सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सूचना के 15 दिवस के उपरान्त सम्बन्धित समिति की सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी।	3. बैठक में प्रबन्धन समिति की मूल्याँकन आख्या एवं समिति को दिये गये सहयोग की आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने का प्रस्ताव।	4. यदि बैठक में उपस्थित, और मतदान करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा गणपूर्तियुक्त सभा में प्रस्ताव पारित, तो प्रबन्धन समिति भंग।	5. सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्यवाही निर्धारित प्रपत्र पर जारी।	6. नई प्रबन्धन समिति का गठन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर किया जाएगा।

जल उपभोक्ता समिति को भंग/पुनर्गठित करना..

अनियमितता के आधार पर

1. सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित निबंधक तथा उच्च स्तर की समिति को सूचना।	2. निबंधक द्वारा सूचना पर विचार एवम उपयुक्त पाये जाने पर समिति को भंग करने हेतु सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी को निर्देश।

सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबंधन समिति को भंग करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

1. सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अपनी अध्यक्षता में उस समिति से उच्च स्तर की समिति/समितियों की प्रबन्धन समिति के किन्ही दो सदस्यों की एक समिति का गठन।	2. समिति द्वारा निबन्धक को प्रकरण की जाँच आख्या का प्रेषण।	3. यदि गठित समिति के दृष्टिकोण में सम्बन्धित प्रबन्धन समिति भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा निबंधक की पूर्व अनुमति लेकर प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने की घोषणा।	4. तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन 6 माह के अन्दर।

अध्याय – 2
सहभागी सिचाई कार्यक्रम के अर्न्तगत फसल जल प्रबन्धन

सिंचाई प्रणाली के विभिन्न अवयव

मुख्य नहर

- स्रोत, जैसे नदी/जलाशय से निकलने वाली समस्त नहरें मुख्य नहर कहलाती है।

शाखा नहरें

- मुख्य नहर से निकलने वाली 500 क्यूसेक प्रवाह से बडी नहरें।

राजबहा

- शाखा या मुख्य नहर से निकलने वाली 20 से 500 क्यूसेक प्रवाह की नहरें।

अल्पिका या माइनर

- मुख्य या शाखा नहर या राजबहे से निकलने वाली 20 क्यूसेक से कम प्रवाह की नहरें।

कुलाबा या आउटलेट

- विभिन्न नहरों से गूलों के जरिये खेतों तक सिंचाई जल ले जाने वाले कुलाबा या आउटलेट कहलाते हैं। इनका प्रवाह 1 क्यूसेक से कम है।

सिंचाई प्रबंध मे प्रयुक्त शब्दावली

क्यूसेकः–

घनफिट प्रति सेकेंड। प्रवाह के माप की इकाई।

ग्रॉस कमांड एरिया या जी0सी0ए0ः–

नहर से आच्छादित सकल क्षेत्र जिसमे उपजाऊ, गैर उपजाऊ भूमि, आबादी, रास्ते तालाब झील आदि शामिल हैं।

कल्चरेबुल कमांड एरिया या सी0सी0ए0ः–

किसी नहर से सिंचित अथवा सींचा जा सकने वाला क्षेत्र जिसमे केवल कृषि योग्य क्षेत्र ही शामिल होता है।

सिंचाई प्रबंध मे प्रयुक्त शब्दावली

प्रस्तावित क्षेत्र या पी0पी0ए0ः–	• कल्चरेबुल कमांड का निश्चित प्रतिशत। प्रत्येक फसल मे अलग–अलग। प्रत्येक प्रणाली पर अलग–अलग। जैसे शारदा सहायक प्रणाली मे रबी मे 48 व खरीफ मे 67 प्रतिशत तथा एल0जी0सी0 प्रणाली मे रबी मे 36 व खरीफ मे 34 प्रतिशत।
सृजित सिंचन क्षमताः–	• नहर प्रणाली के संदर्भ मे किसी प्रणाली की दोनो फसलों मे प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल का योग सृजित सिंचन क्षमता कहलाता है।
फसल पद्धतिः–	• फसल पद्धति का तात्पर्य फसलों के ऐसे कम से है जो विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान मे रखकर अपनाया जाता है। किसी भी नहर प्रणाली हेतु प्रवाह का आकलन करते समय इसका उपयोग किया जाता है।

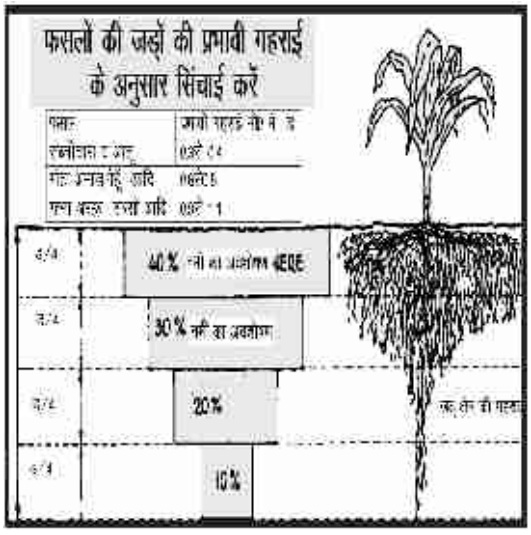

विभिन्न फसलों को आवश्यकतानुसार पानी की मात्रा (मिमी0)

फसल	जल की आवश्यक मात्रा (मिमी0)
धान	900–2500
गेहूँ	450–650
मक्का	500–800
मूँगफली	500–700
सूर्यमुखी	350–500
मिर्चा	500
गन्ना	1500–2500
सोयाबीन	450–700
केला	1200–2200
नींबू	900–1200
टमाटर	600–800
आलू	500–700

वैज्ञानिक सिंचाई विधियां

क्यारी विधि से सिंचाई

एकान्तर कूड् विधि से आलू की सिंचाई

कूड् सिंचाई विधि

टपक सिंचाई	बौछारी सिंचाई

बेहतर जल प्रबंधन के लिए गूल निर्माण

संदर्भ : प्रमुख अभियंता सि0वि0 के पत्र 142 दि0 22 फरवरी 2013

गूल/निकास नाली का संरेखन (एलाइनमेन्ट	• कुलाबा समिति के सदस्य व सींचपाल द्वारा वाक् थ्रू कर प्लान पर निर्णय। • सींचपाल व सींचपर्यवेक्षक द्वारा नक्शा तैयार
गूल/निकास नाली का संरेखन (एलाइनमेन्ट	• सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कुलाबा समिति को प्लान सौंपा जाना। समिति की कोरमयुक्त सभा मे निर्णय।
गूल/निकास नाली का तल निर्धारण	• समिति द्वारा अनुमोदित प्लान का एल सेक्शन। समिति की असमर्थतापर किसी एजेंसी द्वारा। • कच्ची गूल का ढाल 100 मीटर मे 5 से0मी0। मुख्य गूल का जल स्तर नहर के जल स्तर से 23 से0मी0 नीचे।

गूल/निकास नाली का तल निर्धारण	• शाखा गूलों की तली का ढाल उनके निर्गत स्थान के मुख्य गूल के तली के स्तर के सापेक्ष होगा; • अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित संरेखन सक्षम नहर अधिकारी को।
गूल/निकास नाली का तल निर्धारण	• सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरांत 15 दिन मे वापस। • 15 दिन मे वापस न करने की स्थिति मे अनुमोदित मानकर समिति द्वारा कार्यवाही।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	• अल्पिका/फेडेरेटिड अल्पिका समिति की प्रबंधन समिति।
कार्य कराने की विधि	• कार्य कुलाबा समिति द्वारा सक्षम नहर अधिकारी की देख रेख मे मस्टर रौल या कार्यादेश के माध्यम से खण्डीय पिम प्रकोष्ठ द्वारा अल्पिका/फेडेरेटिड अल्पिका समिति को मस्टररौल निर्गत। जो इन्हे कुलाबा समिति के सचिव को निर्गत करेंगे।
कार्य का अनुश्रवण	• प्रगति व गुणवत्ता का दायित्व अल्पिका प्रबंधन समिति की उपसमिति का। सूचना सहायक अभ्यिंता को। सींचपालों की ड्यूटी सूचना अधि0 व स0अ0 को देने के लिए।

कार्यों का भुगतान	• सक्षम नहर अधिकारी द्वारा मापन व अध्यक्ष कुलाबा समिति द्वारा सत्यापित मस्टररौल भुगतान के लिए संबंधित अल्पिका समिति को भेजा जायगा जो मस्टररौल के 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे।
कार्यों का अन्तिम भुगतान	• शेष 50 प्रतिशत भुगतान कुलाबा समिति की सामान्य सभा के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकेगा।

प्रक्षेत्र विकास कार्य कराने की प्रक्रिया

संदर्भ : शासनादेश सं 46/54–2–2013 दिनांक 28 जून 2013 मे गूल निर्माण प्रक्रिया

प्रक्षेत्र कार्यों का प्रारंभ	निष्पादन की प्रक्रिया	कार्यों का अनुमोदनः कुलाबा समिति द्वारा।
सक्षम नहर अधिकारी, अल्पिका समिति व कुलाबा समिति के अनुरोध पर।	सक्षम नहर अधिकारी, कॉडम अधिकारी, कुलाबा समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति मे वाक्थ्रू शवाकथ्रू मे कच्ची पक्की गूल व अन्य कार्यों का चिंहांकन।	लम्ब छिन्नक काडम अधिकारियों द्वारा तैयार कर सहायक अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा अनुमोदन।

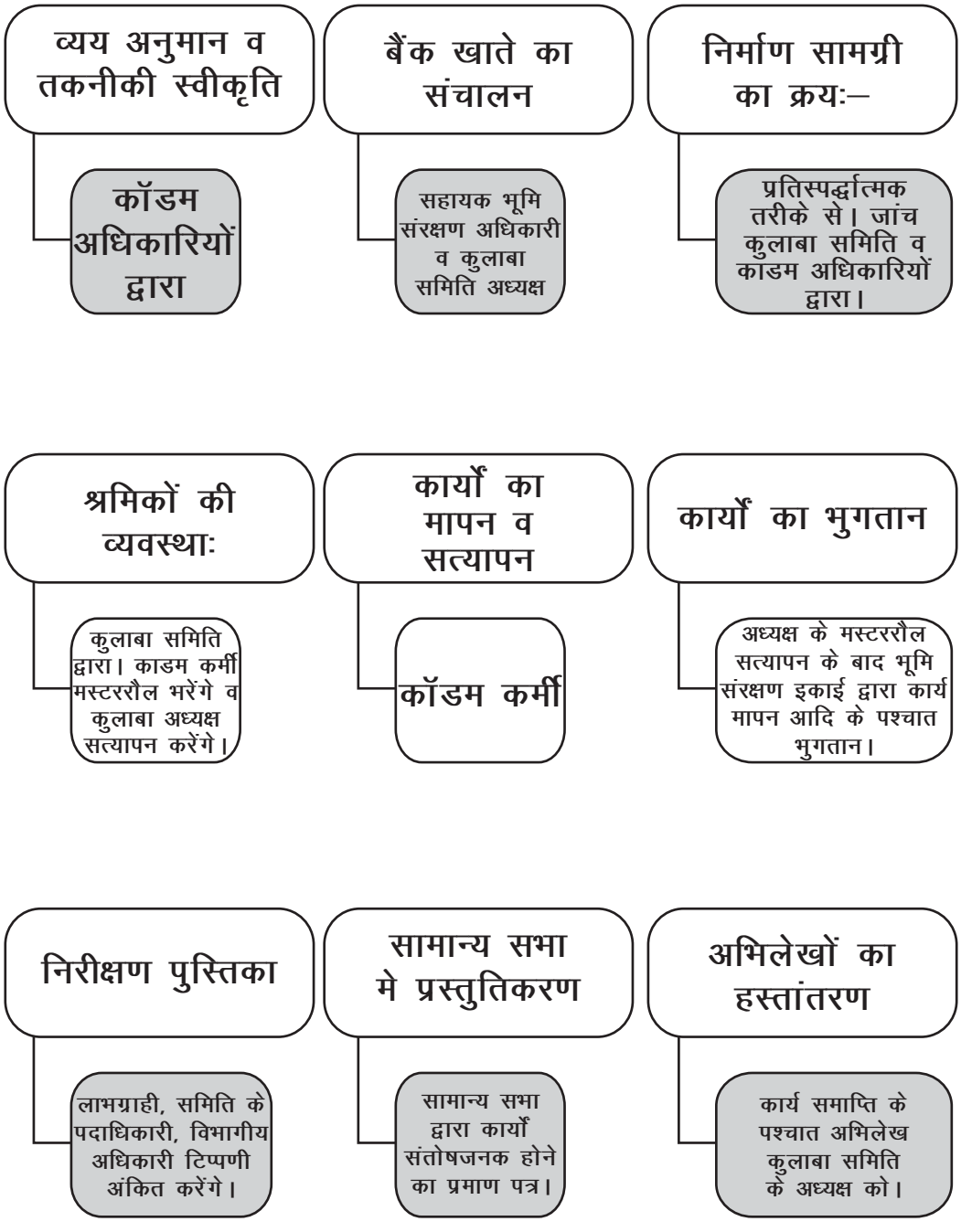

व्यय अनुमान व तकनीकी स्वीकृति

कॉडम अधिकारियों द्वारा

बैंक खाते का संचालन

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी व कुलाबा समिति अध्यक्ष

निर्माण सामग्री का क्रयः—

प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से। जांच कुलाबा समिति व काडम अधिकारियों द्वारा।

श्रमिकों की व्यवस्थाः

कुलाबा समिति द्वारा। काडम कर्मी मस्टररौल भरेंगे व कुलाबा अध्यक्ष सत्यापन करेंगे।

कार्यों का मापन व सत्यापन

कॉडम कर्मी

कार्यों का भुगतान

अध्यक्ष के मस्टररौल सत्यापन के बाद भूमि संरक्षण इकाई द्वारा कार्य मापन आदि के पश्चात भुगतान।

निरीक्षण पुस्तिका

लाभग्राही, समिति के पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी टिप्पणी अंकित करेंगे।

सामान्य सभा मे प्रस्तुतिकरण

सामान्य सभा द्वारा कार्यों संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र।

अभिलेखों का हस्तांतरण

कार्य समाप्ति के पश्चात अभिलेख कुलाबा समिति के अध्यक्ष को।

वारबंदी

- **परिचयः**– कृषकों के मध्य सिंचाई जल के साम्यपूर्ण बटवारे के नियोजन को वारबंदी के नाम से जाना जाता है।
- **उद्देश्यः**– कृषकों के खेत की कुलाबे के सापेक्ष स्थिति तथा उनके सामाजिक वर्ग के निरपेक्ष सिंचाई जल का साम्यपूर्ण (equitable) बँटवारा।
- कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल तथा सिंचन जल के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देना।

- **वारबंदी से लाभः**–

  –विवाद में कमी

  –साम्यताः–

  –विश्वसनीयता :–

  –फसल नियोजन के विकल्पः–

  –जल के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रेरणः–

  –जल दक्षता मे बढोतरीः–

वारबंदी बनाने की विधि

- जल प्रवाह हेतु कुलाबा समिति द्वारा कुलाबा कमाण्ड के कृषकों द्वारा आगामी फसल सीजन में बोये जाने वाले खसरा संख्या को चिन्हांकित किया जायेगा।
- चिन्हांकित खसरा संख्या पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था (यथा–खेत नाली / गूल आदि) के आधार पर चिन्हांकित खसरा संख्या के कृषकों द्वारा पानी लिये जाने की क्रमबद्धता (F1,F2.....) निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी।

क्रम सं0	खसरा संख्या	कषृक का नाम	खसरा का क्षेत्रफल (हे0)	एक हेक्टेयर खसरा हेतु आवंटित समय	खसरा संख्या हेतु कृषकों को आवंटित समय		कृषक द्वारा पानी लेने का प्रारम्भिक दिन व समय		कृषक द्वारा पानी बन्द करने का दिन व समय	
					घण्टा में	मिनट में	दिन	समय	दिन	समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. बिन्दु–2 में निर्धारित खसरा संख्या के क्रम को निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या (2) में तथा संबंधित कृषक का नाम कालम संख्या (3) में एवं खसरा का क्षेत्रफल कॉलम संख्या (4) में भरा जायेगा।

4. कॉलम संख्या (4) में अंकित समस्त खसरों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा। जो उक्त उदाहरण में 12.56 हे0 है।

5. कॉलम संख्या (4) में अंकित समस्त खसरों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा। जो उक्त उदाहरण में 12.56 हे0 है।

6. प्रत्येक खसरा संख्या हेतु आवंटित समय का आंकलन कॉलम (5) में प्राप्त मान को संबंधित खसरा संख्या के क्षेत्रफल से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

खसरा संख्या हेतु दिवस व समय का आवंटन कुलाबा पर उपलब्ध हाने वाले जल के दिवस व समय के आधार पर किया जायेगा

क्रम सं0	खसरा संख्या	कृषक का नाम	खसरा का क्षेत्रफल (हे0)	एक हेक्टेयर खसरा हेतु आवंटित समय	खसरा संख्या हेतु कृष्शकों को आवंटित समय		कृशक द्वारा पानी लेने का प्रारम्भिक दिन व समय		कृषक द्वारा पानी बन्द करने का दिन व समय	
					घण्टा में	मिनट में	दिन	समय	दिन	समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	728		0.391	13.21	5.16	309.60	बृहस्पतिवार	08:00 पूर्वान्ह	बृहस्पतिवार	01:09 PM
2	729		0.417	13.21	5.51	330.60	बृहस्पति	01:09 अपरान्ह	बृहस्पतिवार	06:39 अपरान्ह
3	726		0.763	13.21	10.08	604.80	बृहस्पतिवार	06:39 अपरान्ह	शुक्रवार	04:43 पूर्वान्ह
4	727		0.298	13.21	3.94	236.40	शुक्रवार	04:43 पूर्वान्ह	शुक्रवार	08:39 पूर्वान्ह
5	725		0.253	13.21	3.34	200.40	शुक्रवार	08:39 पूर्वान्ह	शुक्रवार	11:59 पूर्वान्ह
6	724		1.627	13.21	21.49	1289.40	शुक्रवार	11:59 पूर्वान्ह	शनिवार	09:28 पूर्वान्ह

7	721		0.163	13.21	2.15	129.00	शनिवार	09:28 पूर्वान्ह	शनिवार	11:37 पूर्वान्ह
8	732		0.137	13.21	1.81	108.60	शनिवार	11:37 पूर्वान्ह	शनिवार	01:25 अपरान्ह
9	731		0.038	13.21	0.50	30.00	शनिवार	01:25 अपरान्ह	शनिवार	01:55 अपरान्ह
10	733		1.002	13.21	13.23	793.80	शनिवार	01:55 अपरान्ह	रविवार	03:08 पूर्वान्ह
11	736		0.598	13.21	7.90	474.00	रविवार	03:08 पूर्वान्ह	रविवार	11:02 पूर्वान्ह
12	735		0.987	13.21	13.04	782.40	रविवार	11:02 पूर्वान्ह	सोमवार	12:04 पूर्वान्ह
13	737		0.36	13.21	4.75	285.00	सोमवार	12:04 पूर्वान्ह	सोमवार	04:49 पूर्वान्ह

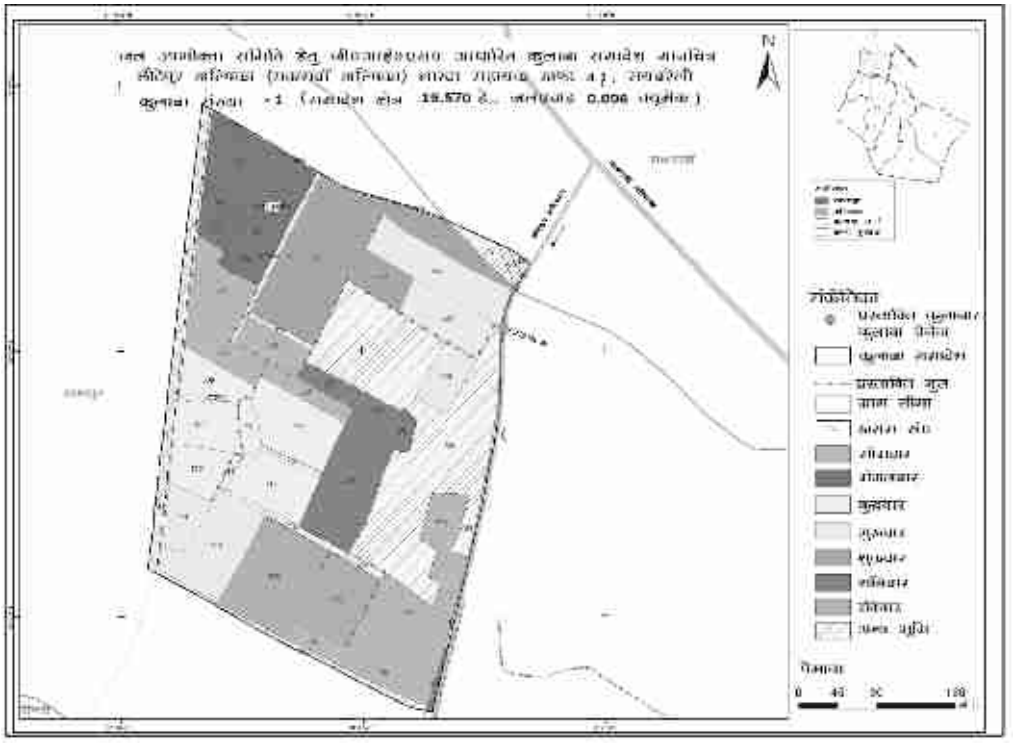

वारबंदी निर्धारण
नियम–25

- प्रपत्र–16 पर कुलाबा प्रबंधन समिति द्वारा सामान्य प्रक्रिया से तैयार व सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत।
- अल्पिका समिति के माध्यम से स्वीकृति हेतु अधिषासी अभियंता को प्रस्तुत।
- अन्तिमीकरण के पश्चात उसी माध्यम से कुलाबा समिति को वापस।

वारबंदी निर्धारण
मे सावधानिया

देखें कि सभी खेतों को आवंटित समय का योग 166 घंटे है तथा जिस दिन व समय से पहले खेत को सिंचाई हेतु समय रखा गया था वही समय (अथवा दो घंटे पूर्व) सिंचाई चक्र समाप्ति पर आ गया है।

सिंचाई जल के समान बंटवारे के लिये व्यवस्था एवं नीति नियम बनाना

- संभावित मुख्य नियम
- सिंचाई मांग तथा शुल्क/सेवा शुल्क एकत्रित करने के नियम
- नहर मे साफ सफाई तथा रखरखाव मे किसानो की भागीदारी के नियम
- समिति की बैठको में भाग लेने के नियम
- वाराबंदी के पालन करने के नियम
- जल के अपव्यय होने पर दंड /नियम
- नहर को क्षति पहुंचाने पर दंड/नियम
- किसानो के मध्य जल बंटवारे के विवादो को सुलझाने के नियम
- सींच अंकन के नियम आदि।

जल बजट

क्या है जल बजट

- जल बजट का तात्पर्य जल की उपलब्धता के अनुरूप फसलों का इस तरह चुनाव करना कि उपज पर असर पडे बिना फसलों की जल मांग पूरी हो सके।

जल बजट के लिए आवश्यक आंकडे

1. फसलों का क्षेत्रफल
2. फसलों की जल आवष्यकता

- उपलब्ध जल
- –नहरी जल
- –भूजल

फसलों का क्षेत्रफल

- फसलों का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए कुलाबा कमांड के कृशकों की सूची तैयार कर उनसे जानकारी प्राप्त की जायगी।

फसलों की जल आवश्यकता

- फसलों की जल आवष्यकता जानने के लिए हमे वैज्ञानिकों द्वारा निधारित विभिन्न फसलों की जल आवष्यकता की सहायता लेनी होगी जो पाठ्य सामग्री मे दी गई है।

रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया

- प्रमुख अभियन्ता के आदेष संख्या 500 / क0प्र0अभि0 / सहाभागिता प्रकोष्ठ दिनांक 19.09.2011
- अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता मे प्रत्येक फसली रोस्टर के लिए सभी अधिशासी अभियंता एवं राजबहा समिति के अध्यक्षों की एक बैठक।
- बैठक मे जल उपलब्धता व मांग के संबंध मे विचार विमर्श। सामंजस्य बैठाते हुए रोस्टर का अन्तिमीकरण।
- रोस्टर की प्रति राजबहा समिति के अध्यक्ष को।
- रोस्टर मे किसी परिवर्तन पर रेगुलेषन आदेश जारी करने के निदेश जिसकी सूचना राजबहा समिति को समय से।

रोस्टर लागू करना

- सामान्यतया मुख्य नहर एवं शाखा नहर का रोस्टर सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
- राजबहा एवं अल्पिका का रोस्टर सिंचाई विभाग एवं जल उपभोक्ता समिति द्वारा मिलकर तैयार किया जाना है।
- जल उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी अपने से संबंधित अधिकारी से रोस्टर की जानकारी खंडीय कार्यालय से प्राप्त कर लेना चाहिए। रोस्टर की प्रति उपलब्ध कराना विभाग का कर्तव्य है।
- जल उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी को विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर रोस्टर के अनुसार जल प्राप्त करने तथा जल वितरण करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

जल उपलब्धताः– सतही जल

- सतही जल का अनुमान लगाने के लिए हमे नहर के रोस्टर से सहायता लेनी होगी।
- नहर के रोस्टर से ज्ञात होगा कि पूरी फसल मे नहर कितने सप्ताह चलेगी।
- नहर के प्रवाह (डिस्चार्ज) से नहर के चलने वाले सप्ताह को गुणा किया जायगा तथा इसको सप्ताह के घंटों अर्थात 168 से गुणा कर हेक्टेयर से0मी0 मे पानी की मात्रा निकाली जायगी।
- इससे पूरी फसल मे नहर से मिलने वाले जल की मात्रा निकल आयेगी।

जल उपलब्धताः– भू–जल

- फसल की मांग अधिक होने पर नहरी पानी के अलावा भी पानी की जरूरत होगी। इसके लिए भू–जल एक अच्छा एवं अनिवार्य विकल्प है।
- भू–जल की गणना के लिए भू–जल एटलस या पीजोमीटर की जून एवं नवंबर की रीडिंग के अंतर को कमांड क्षेत्र से गुणा कर उसके 20 प्रतिषत के बराबर भू–जल आंकलित कर लिया जाता है।

कुलाबा का जल बजट

कुलाबा सं0–7 तारापुर अल्पिका

प्रपत्र 12 क

क्रसं0	किसान का नाम	गाटा सं0	गाटा का क्षेत्र (हे0)	फसल का नाम	फसल के अधीन क्षेत्र (हे0)	अपेक्षित जल की कुल गहराई (से0मी0)	फसल द्वारा अपेक्षित जल की मात्रा (हे0से0मी) (6)X(7)	प्रत्येक वारबंदी के रूप में जल प्रवाह का समय घंटों में	रोस्टर के अनुसार वाटरिंग की सं0	कुलाबा का निस्सरण क्यूसेक मे (डिस्चार्ज)	उपलब्ध जल की कुल मात्रा (9)X(10) X(11) हे0सेमी	अन्य स्रोतों द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली जल की कुल मात्रा (8)-(12) हे0सेमी	अन्य स्रोतों (भूगर्भ जल)मे जल उपलब्धता हे0सेमी	4'' नल कूप के आवश यक घंटे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	हाजी नसीब	345	1.67	गेहू	1.2	35	42	10	4	0.33	13	29	32	58
2	रामदीन	346	1.2	गेहूं	1	35	35	7.5	4	0.33	10	25	30	50
	योग						654				248	406		

सामान्य परिवर्तन गुणांक व इकाई

क्षेत्रफलः– बीघा स्थानीय इकाई है इसका मान स्थान स्थान पर बदलता रहता है। एकड़ व हेक्टेयर पक्की इकाई है।

1 बीघा = 2531.93 वर्ग मीटर (27225 वर्ग फीट)

1 बीघा = 4 कच्चे बीघे (फेज़ 1 के क्षेत्र मे)

1 एकड़ = 32 बिसवा=4840 वर्ग गज=(43560 वर्ग फीट)

1 एकड़ = 0.4047 हैक्टेयर

आयतन

1 घन फुट = 0.0283घन मी0

1 घन मी. = 35.32 घन फुट

1 लीटर = 14000 घन से0मी0

1000 लीटर = 1 घन मी0

नहर जल प्रवाह क्षमता

1 क्यूसेक (घन फूट प्रति सेकंड) = 1 फूट गुणे 1 फूट गुणे 1 फूट प्रवाहित जल

1 क्यूमेक (घन मीटर प्रति सेकंड) = 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर जल राशि

1 मिलीयन घन फिट (एमसीएफटी) प्रति सेकंड = 10 लाख घन फिट प्रवाहित जल

1 क्यूमेक = 1 घनमीटर प्रति सेकेंड= 35.32 क्यूसेक

1 क्यूसेक = 28 लीटर प्रति सेकेंड

प्रपत्र–13क

अल्पिका हेतु जल बजट

अल्पिका का नाम ..... तारापुर अल्पिका.....प्रवाह 3.5 क्यूसेक.....

क्र0सं0	कुलाबा सं.	कुलाबा शीर्ष पर कुल जल की मात्र (हे.से.मी.)		अल्पिका में कुल हानि	अल्पिका में अपेक्षित जल की कुल मात्रा	अल्पिका के शीर्ष पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा	अभियुक्ति
		अपेक्षित (फार्म सं. 12 क से)	उपलब्ध (फार्म सं. 12 क से)				
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	654	248				
	योग	7875	2352	235	8010	2587	कुल हानि 10 प्रतिशत मानी गई है।

सींच अंकन क्यों जरुरी है?

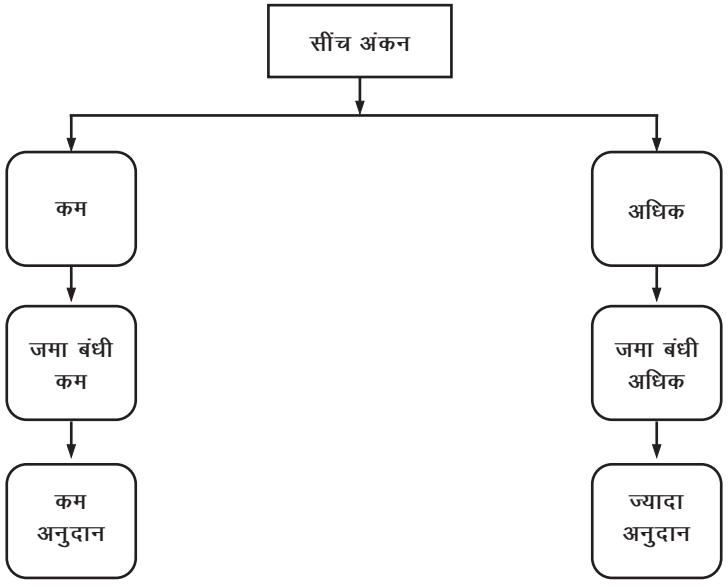

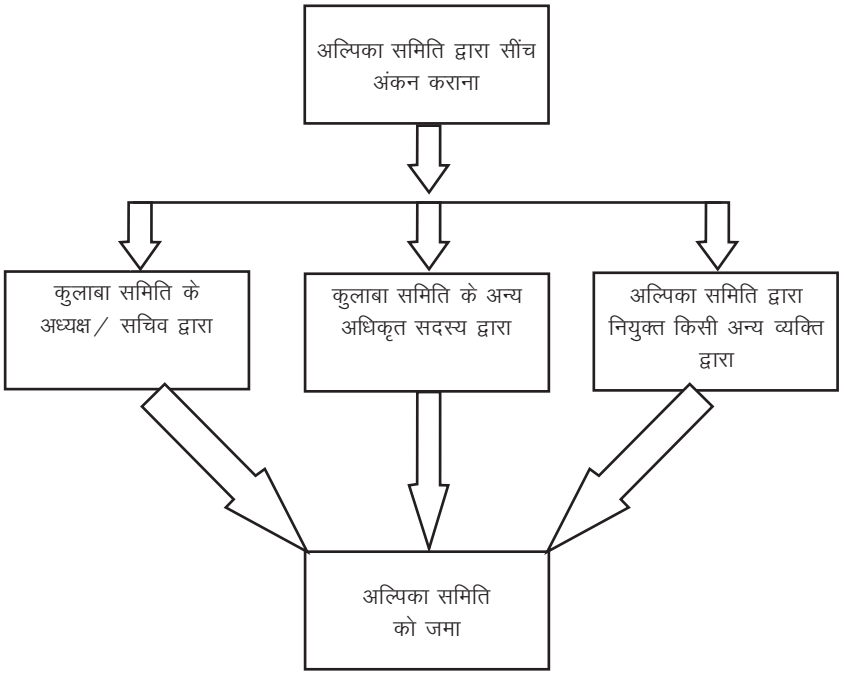

नोटः– सींच अंकन करने वाले व्यक्ति को मानदेय दिया जा सकता है।

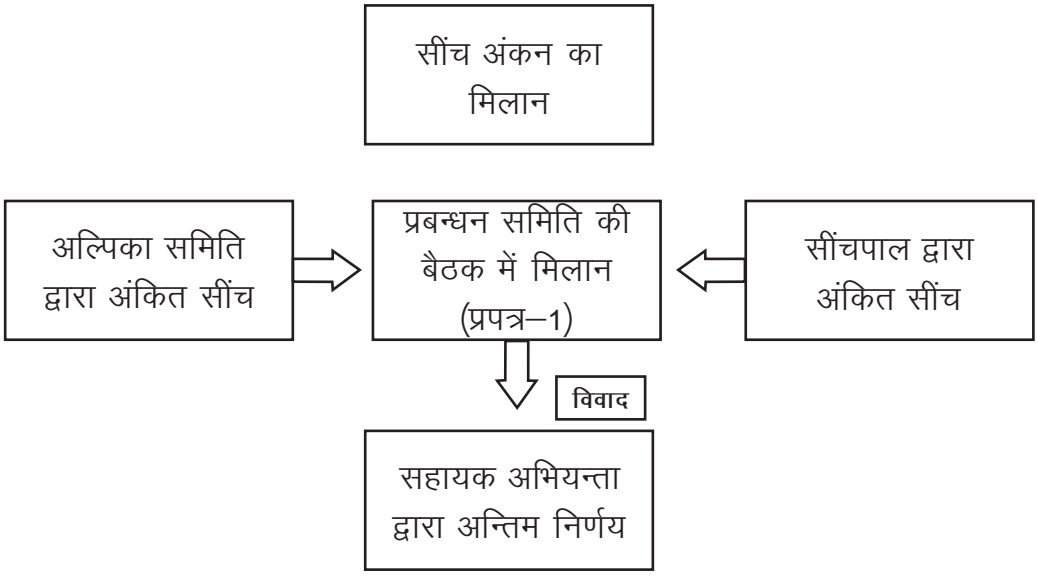

सिंचाई अंकन

- सींच अंकंन के लिए प्रत्येक कुलाबा कमांड की खेतवार कृषक सूची प्रपत्र–5 पर विभाग द्वारा ।

प्रपत्र –5

क्रसं0	भूधारक का नाम	भूधारक के पिता का नाम	पता ग्राम/त हसील जिला	गाटा संख्या	नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र		गाटा क्षेत्र (हेक्टेयर)	अन्य स्रोतों द्वारा सिंचाई	असिंचित क्षेत्र	अकृष्य क्षेत्र
					प्रवाह के आकर्षण द्वारा (तोड़)	उत्थापन द्वारा (डाल)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

क्षेत्रफल आधारित सींच दर्ज का फार्म

फार्म–6

- अल्पिका का नाम.....
- कुलाबा की संख्या.....
- कुलाबा की चेनेज.....
- सिंचाई का वर्ष .....
- फसल ऋतु.....
- सिंचाई अभिलेखन का सप्ताह.....

क्रसं0	भूधारक का नाम	भूधारक के पिता का नाम	पता ग्राम/तहसील जिला	गाटा सं0	गाटा का कुल क्षेत्र (हे0)	सिंचित गाटा की माप			जिंस का नाम	सिंचाई का प्रकार	
						लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	क्षेत्र (हे0)		प्रवाह के आकर्शण द्वारा	उत्थापन द्वारा (डाल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

⇩

फार्म–7

- अल्पिका का नाम.....
- कुलाबा की चेनेज .....
- गाँव का नाम.....
- तहसील का नाम.....
- जिला का नाम.....
- सिंचाई का वर्ष.....
- फसल ऋतु.....
- कुलाबा संख्या.....

क्रसं0	भूधारक का नाम	भूधारक के पिता का नाम	गाटा सं0	गाटा के कुल क्षेत्र (हे0)	फसल ऋतु का नाम	सिंचित क्षेत्र (हे0)	सिंचाई के प्रकार	
							(तोड़)	(डाल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

फार्म–8

अल्पिका का नाम.....
सिंचाई का वर्ष.....
कुलाबा की संख्या.....
ऋतु का नाम .....

क्रसं0	भूधारक का नाम	भूधारक के पिता का नाम	गाटा सं0	गाटा का कुल सिंचित क्षेत्र (हे0)	जल दर	वर्तमान फसल का जल प्रभार (5)X(6)	पूर्ववर्ती वर्ष में देय **शेष** जल प्रभार	कुल जल प्रभार (7)+(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अपराध एवं दंड

नहर अथवा जल निकास प्रणाली को क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, वृद्धि या बाधित करना अर्थात नहर काटना, तोडना या रोकना

जल प्रवाह या जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप करना अर्थात बंधा लगाना, पंपिंग सैट लगाना, पानी मे गंदगी मिलाना

कार्यक्षेत्र के बाहर समुचित प्राधिकार के बिना जल का उपयोग करना; अर्थात बिना अधिषासी अभियंता की अनुमति के कुलाबा कमांड के बाहर सिंचाई करनाः

अपराध एवं दंड

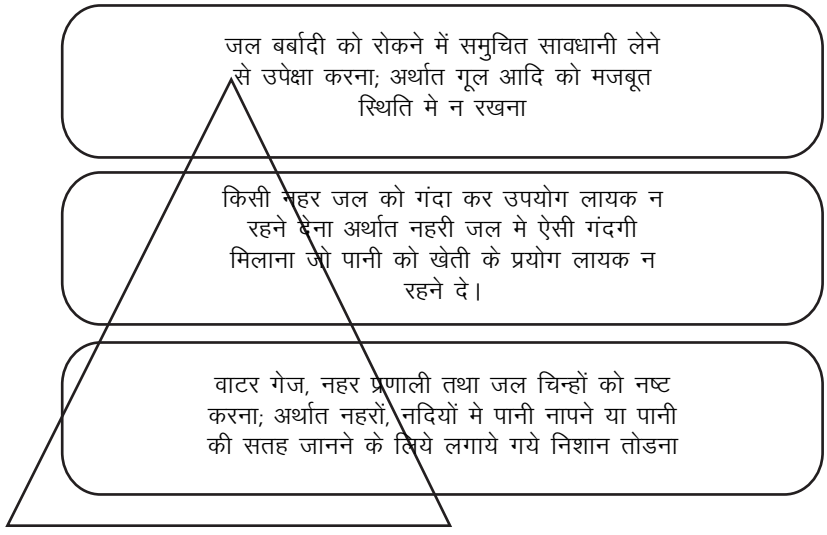

अपराध एवं दंड

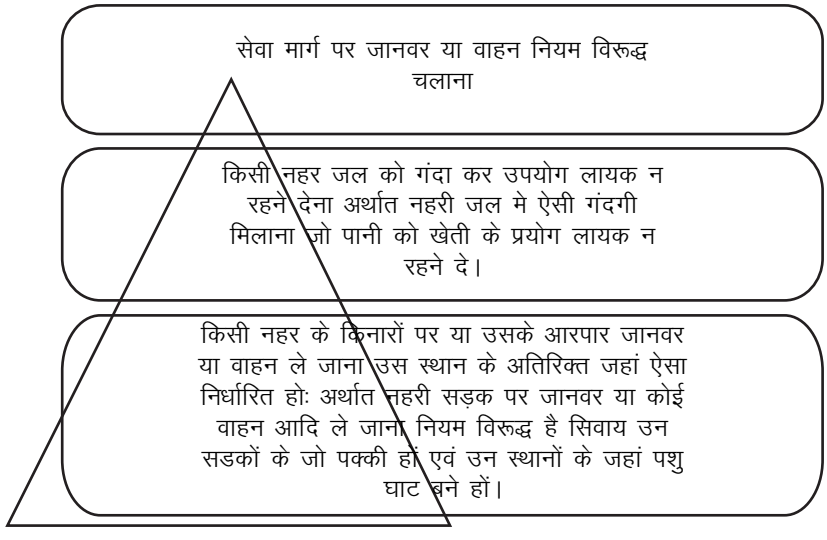

अपराध एवं दंड

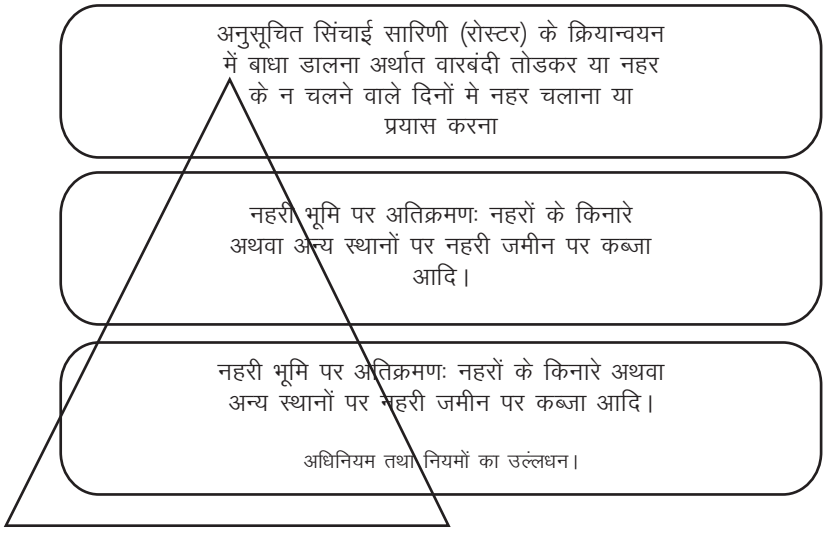

जांच संस्था

क्रम	कार्यक्षेत्र, जिसमें अपराध घटित हुआ	जाँच संस्था	अभियुक्ति
1	कुलाबा कमाण्ड	अल्पिका प्रबन्धन समिति	किसी जाँच संस्था के न होने पर उसके सक्षम नहर अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी
2	अल्पिका	रजबहा प्रबन्धन समिति	
3	रजबहा	शाखा प्रबन्धन समिति	
4	शाखा एवं परियोजना	सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कराई जाएगी	जाँच अधिकारी जिलेदार के पद से कम नही होगा

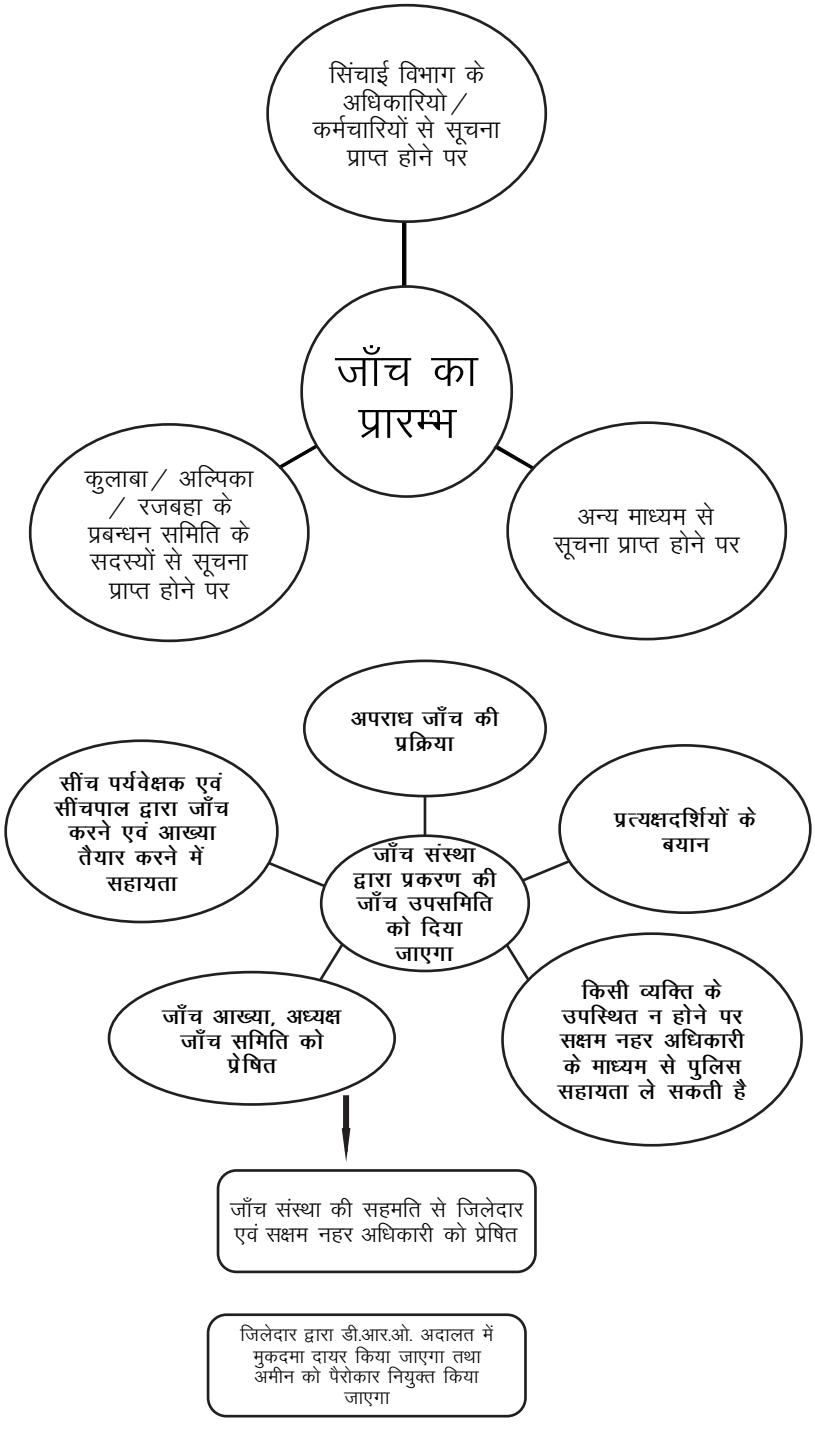
सिंचाई विभाग के अधिकारियो / कर्मचारियों से सूचना प्राप्त होने पर
जाँच का प्रारम्भ
कुलाबा / अल्पिका / रजबहा के प्रबन्धन समिति के सदस्यों से सूचना प्राप्त होने पर
अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर
अपराध जाँच की प्रक्रिया
सींच पर्यवेक्षक एवं सींचपाल द्वारा जाँच करने एवं आख्या तैयार करने में सहायता
प्रत्यक्षदर्शियों के बयान
जाँच संस्था द्वारा प्रकरण की जाँच उपसमिति को दिया जाएगा
जाँच आख्या, अध्यक्ष जाँच समिति को प्रेषित
किसी व्यक्ति के उपस्थित न होने पर सक्षम नहर अधिकारी के माध्यम से पुलिस सहायता ले सकती है
जाँच संस्था की सहमति से जिलेदार एवं सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित
जिलेदार द्वारा डी.आर.ओ. अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा तथा अमीन को पैरोकार नियुक्त किया जाएगा

जल अपराध की विवेचना

- अपराध संज्ञान में आते ही अध्यक्ष सूचित करने एवं सहयोग देने हेतु बाध्य।अध्यक्ष द्वारा अपराध की सूचना न देने पर सह अपराधी ।
- पुलिस अधिकारी, राज्य सरकार के कर्मचारी तथा ज0उ0स0 के सदस्य अपराध की सूचना देंगे।
- अपराध की विवेचना अगली उच्च स्तरीय ज0उ0स0/सक्षम नहर अधिकारी द्वारा।
- सक्षम विवेचक अभिकरण को पुलिस स्टेशन प्रभारी की शक्तियां।

जल अपराध की विवेचना

- किसी न्यायालय द्वारा बिना विवेचक अभिकरण की लिखित शिकायत के अपराध को संज्ञाान में नही लेना ।
- जिलेदार, सींचपर्यवेक्षक व सींचपाल द्वारा सहायता।
- आरोपी को सफाई पेश करने का मौका।

जल अपराध की विवेचना

जाँच उप–समिति प्रकरण की जाँच कर समस्त साक्ष्यों एवं अभिलेखों के साथ आख्या, समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी।

अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धन समिति की सहमति से जाँच आख्या पर अन्तिम निर्णय लेते हुए अपराध के लिए दण्ड की कार्यवाही हेतु जाँच आख्या सम्बन्धित जिलेदार एवं सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

जिलेदार का यह दायित्व होगा कि सक्षम जाँच संस्था की जाँच के आधार पर मुकदमा स्पेषल जुडिषियल मजिस्ट्रेट (नहर) की अदालत में दायर करे तथा पैरवी के लिए अमीन को नामित करे। जाँच आख्या में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पाए जाने पर जिलेदार द्वारा जाँच संस्था से कमियों को दूर करवाया जाएगा;

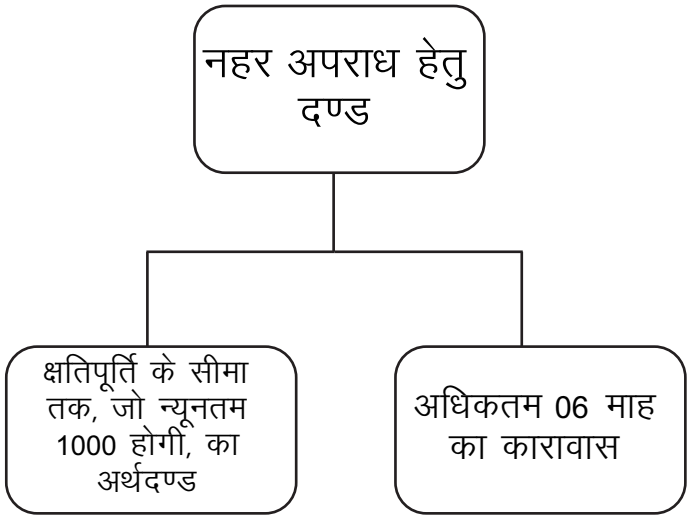

- दण्ड एक अथवा दोनो हो सकते है।
- अपराध की पुनरावृत्ति पर 1000 का अतिरिक्त दण्ड

अपराध का शमन

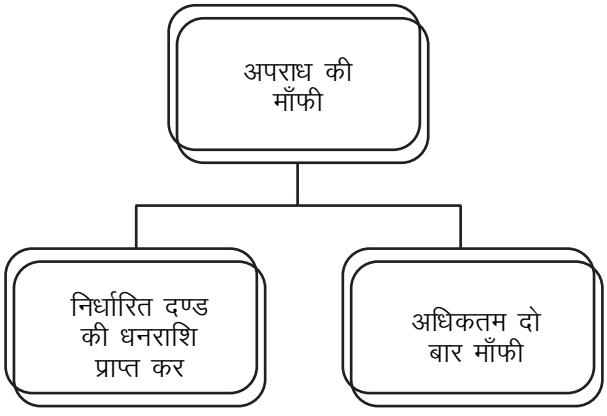

- माँफी की फीस सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति के समिति कोष में जमा की जाएगी।
- मुकदमा दायर होने अथवा अदालत के निर्णय से पूर्व किसी भी समय माँफी हो सकती है।
- दण्ड के विरुद्व अधिकतम 3 माह में सी.जे.एफ. की अदालत मे अपील की जा सकती है।

अनाधिकृत सिंचाई

- नहर काटकर सिंचाई करना;
- अनाधिकृत कुलाबें डालकर अथवा दहन बढाकर सिंचाई करना।
- तोड़ सिंचाई के खेतों मे नहर से पम्प द्वारा पानी उठाकर सिंचाई करनाः
- नहर मे बंधा लगाकर सिंचाई करनाः
- कुलाबा कमांड से बाहर पानी ले जाकर सिंचाई करना

अनाधिकृत सिंचाई

- वारबंदी /ओसराबंदी के विरूद्ध सिंचाईः
- नहर/ कुलाबे के गेट खोलकर सिंचाई करना
- जल उपभोक्ता समिति द्वारा अनधिकृत घोषित विधि से सिंचाई करना।

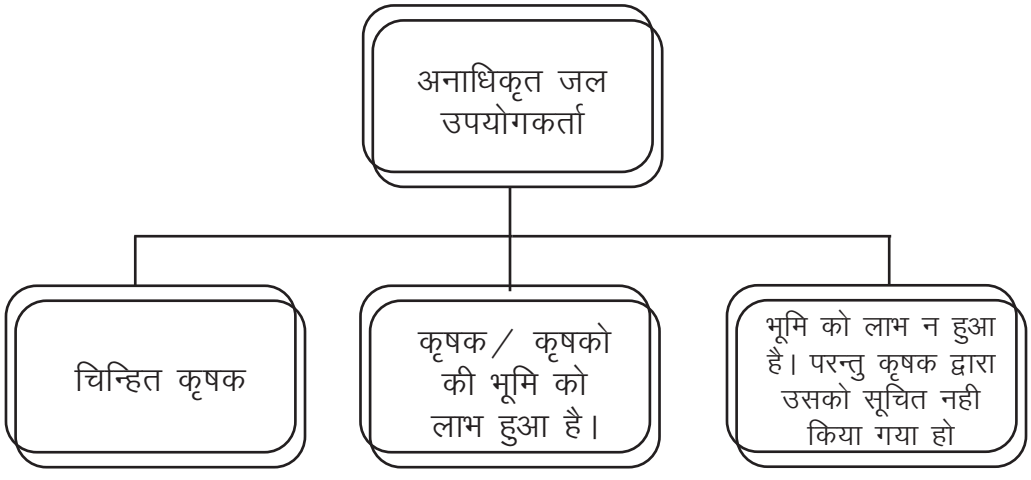

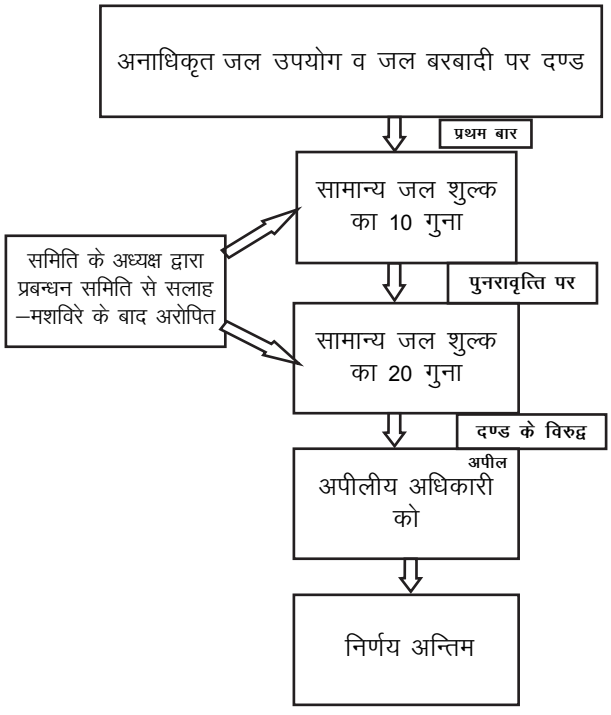
अनाधिकृत जल उपयोग व जल बरबादी पर दण्ड
प्रथम बार
सामान्य जल शुल्क का 10 गुना
समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धन समिति से सलाह –मशविरे के बाद अरोपित
पुनरावृत्ति पर
सामान्य जल शुल्क का 20 गुना
दण्ड के विरुद्व अपील
अपीलीय अधिकारी को
निर्णय अन्तिम

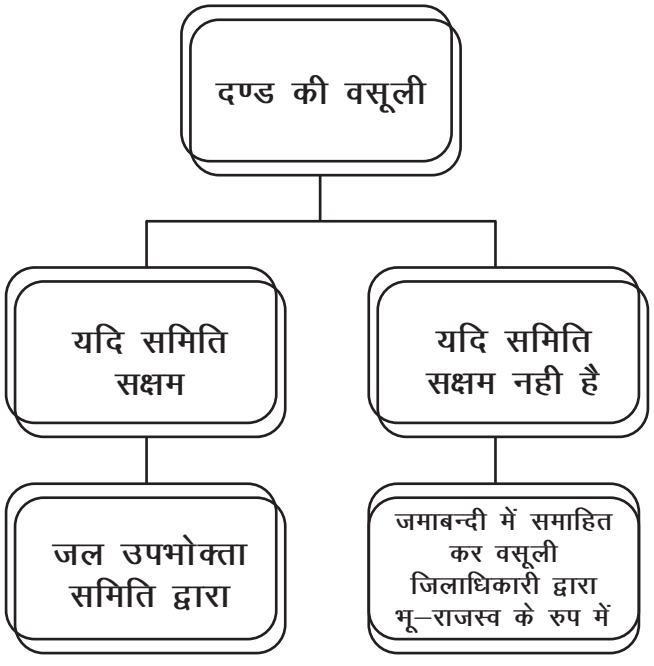
दण्ड की वसूली
यदि समिति सक्षम
यदि समिति सक्षम नही है
जल उपभोक्ता समिति द्वारा
जमाबन्दी में समाहित कर वसूली जिलाधिकारी द्वारा भू–राजस्व के रुप में

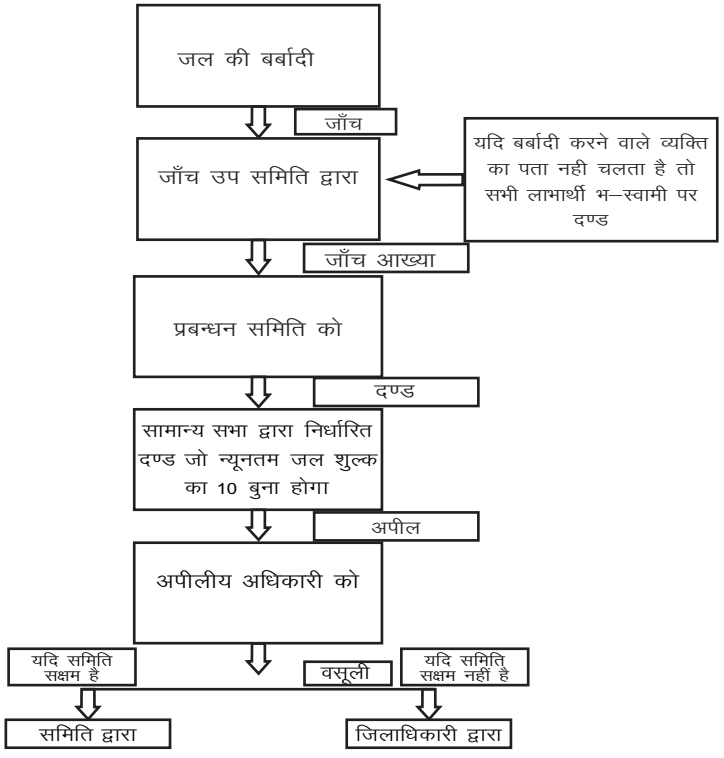
जल की बर्बादी
जाँच
जाँच उप समिति द्वारा
यदि बर्बादी करने वाले व्यक्ति का पता नही चलता है तो सभी लाभार्थी भ–स्वामी पर दण्ड
जाँच आख्या
प्रबन्धन समिति को
दण्ड
सामान्य सभा द्वारा निर्धारित दण्ड जो न्यूनतम जल शुल्क का 10 बुना होगा
अपील
अपीलीय अधिकारी को
यदि समिति सक्षम है
वसूली
यदि समिति सक्षम नहीं है
समिति द्वारा
जिलाधिकारी द्वारा

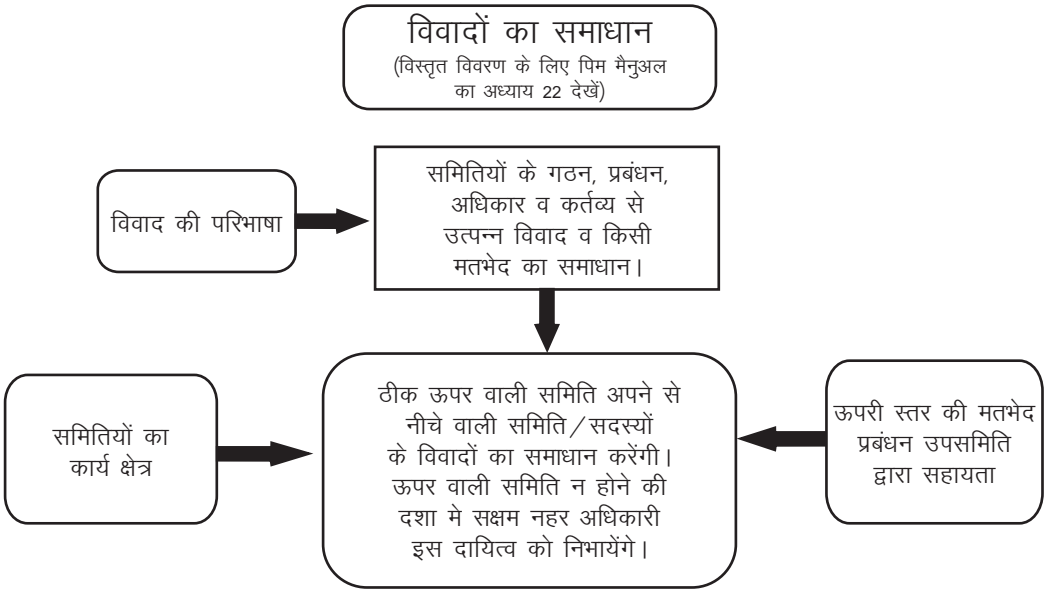
विवादों का समाधान
(विस्तृत विवरण के लिए पिम मैनुअल का अध्याय 22 देखें)
विवाद की परिभाषा
समितियों के गठन, प्रबंधन, अधिकार व कर्तव्य से उत्पन्न विवाद व किसी मतभेद का समाधान।
समितियों का कार्य क्षेत्र
ठीक ऊपर वाली समिति अपने से नीचे वाली समिति/सदस्यों के विवादों का समाधान करेंगी। ऊपर वाली समिति न होने की दशा मे सक्षम नहर अधिकारी इस दायित्व को निभायेंगे।
ऊपरी स्तर की मतभेद प्रबंधन उपसमिति द्वारा सहायता